तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/7508/2006/जयपुर** **सरकार बनाम छीतरमल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम

Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एकल पीठ
श्री धूकलराम कसवाँ, सदस्य

उपस्थित–

श्री खुर्शीद अनवर उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
श्री राकेश अरोडा अभिभाषक अप्रार्थी

निर्णय

हस्तगत रेफरेन्स राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर के निर्णय दिनांक 28–7–2006 के अनुसरण में राजस्व मण्डल को अभिशंषित किया गया है।

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार, फुलेरा ने अतिरिक्त जिला कलक्टर, जयपुर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 23 रकबा 9बीघा 1 विस्वा स्थित ग्राम रामपुरा तहसील फुलेरा मिसल बन्दोबस्त सम्बत 2011 से 2019 एवं इसके पश्चात राजस्व रेकार्ड में किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 78 सैंश्री चन्द्रा पुत्र श्री देवा जाति जाट निवासी रामपुरा को जरिये आवंटन दिनांक 11–9–78 के द्वारा दर्ज है। जमाबन्दी सम्बत 2060–63 में छीतरमल, रिछपाल गोपाल पुत्र चन्द्रा जीवणी बेबा चन्द्रा जाति जाट के नाम खाता संख्या 22 खसरा नम्बर 23/1 रकबा 4बीघा किस्म वारानी दर्ज है। इस प्रकार की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। अतः खातेदारी निरस्त योग्य है। अतिरिक्त जिला कलक्टर, द्वारा प्रकरण को भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत परीक्षण करते हुये, रेफरेन्स स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी को अप्रार्थी के खाते से कम कर राजकीय खाते में पूर्ववत गैर मुमकिन तलाई अंकित करने की राय के साथ रेफरेन्स मण्डल को अभिशांषित किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान राजकीय अभिभाषक ने रेफरेन्स में अंकित तथ्यों को दौराने बहस दोहराते हुये कथन किया कि पूर्व में विवादग्रस्त आराजी की किस्म गैर मुमकिन नाला दर्ज थी। नदी, नाला, तालाब, अंगोर, गोचर, पायतन आदि किस्म की ऐसी भूमियां राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन से प्रतिबंधित भूमियां है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णित जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02–08–2004 की पालना में उक्त भूमि को दिनांक 15–8–1947 की स्थिति को रेकार्ड अनुसार बहाल किया जाना आवश्यक है। अन्त में योग्य अधिवक्ता ने रेफरेन्स स्वीकार करने का निवेदन किया।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/7508/2006/जयपुर** **सरकार बनाम छीतरमल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम

जबाब में अप्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादग्रस्त आराजी अप्रार्थी को तत्कालीन सक्षम अधिकारी द्वारा वैधानिक रूप से गठित एडवाइजरी कमेटी द्वारा राजस्व रेकार्ड में नियमानुसार भूमि की किस्म परिवर्तित कर आवंटन की गई। जिसको कभी चुनौती नहीं दी गई। अप्रार्थी गत 40 वर्षो से उक्त भूमि पर काबिज होकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है। रेफरेन्स प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब एवं निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत प्रस्तुत होने से खारिज योग्य है।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व अभिलेख के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 23 रकबा 9बीघा 1 विस्वा स्थित ग्राम रामपुरा तहसील फुलेरा मिसल बन्दोबस्त सम्बत 2011 से 2019 एवं इसके पश्चात राजस्व रेकार्ड में किस्म गैर मुमकिन तलाई दर्ज थी। उक्त भूमि जरिये नामान्तरकरण संख्या 78 सेंश्री चन्द्रा पुत्र श्री देवा जाति जाट निवासी रामपुरा को जरिये आवंटन दिनांक 11–9–78 के द्वारा दर्ज है। जमाबन्दी सम्बत 2060–63 में छीतरमल, रिछपाल गोपाल पुत्र चन्द्रा जीवणी बेबा चन्द्रा जाति जाट के नाम खाता संख्या 22 खसरा नम्बर 23/1 रकबा 4बीघा किस्म वारानी दर्ज है। इस प्रकार की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं थी। अतः खातेदारी निरस्त योग्य है। गैर मुमकिन नदी की भूमि सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 एवं राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम 1970 के नियम 4 (1) के अन्तर्गत आवंटन/नियमन योग्य नहीं रहती है किन्तु राजस्व रिकार्ड में उक्त आराजी अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमों के विपरीत अंकित की गई है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार आदेश दिनांक 2–8–2004 में निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये हैंः– *All land shown as drainage channels like nalla rivers, tributaries etc. as on 15-8-1947 should be declared as Government land. Any conversions made after 15-8-1947 should be declared illegal. The relevant act at rules must be amended accordingly.* उपरोक्तानुसार भी 15 अगस्त 1947 की राजस्व अभिलेख की स्थिति यथावत रखी जानी चाहिए। इसलिये अभिभाषक अप्रार्थी की यह दलील मान्य नहीं है कि रेफरेन्स प्रार्थना पत्र काफी विलम्ब एवं निर्धारित प्रक्रिया के विपरीत प्रस्तुत होने से खारिज योग्य है। अतः इस प्रकार की स्थिति में मण्डल को विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में हस्तगत रेफरेन्स अभिशंषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की भूल नहीं है। फलतः रेफरेन्स स्वीकार योग्य पाया जाता है।

फलतः उपरोक्त विवेचन के परिणामस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर23 रकबा 9 बीघा 1विस्वा को अप्रार्थी की खातेदारी से विलोपित कर राजकीय खाते में पूर्ववत किस्म गैर मुमकिन तलाई राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स/एलआर/7508/2006/जयपुर** **सरकार बनाम छीतरमल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम
	पत्रावली फैसल शुमार हो कर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(धूकलराम कसवाँ)** **सदस्य**	